राष्ट्र
कर
बाजार

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश, इन्दौर

महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर -452 007 फोन नं. आ. 2537140, 2437315 फैक्स: 0731-253622
https://www.mptax.mp.gov.in, E-mail : commissioner.ho@mptax.mp.gov.in

क्रमांक 16/2022/24(B)/I/218 इन्दौर, दिनांक- 05-08-2022

प्रति,

समस्त,
प्रिय करदाता,
मध्यप्रदेश

विषय :– रुपए 20 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए ई–इनवॉइस के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव।

संदर्भ :– इस कार्यालय का जारी पत्र क्रमांक 54 दिनांक 30.03.2022।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से पूर्व में इस कार्यालय द्वारा एक एडवाईजरी जारी की गई थी। उक्त एडवाईजरी को जारी दिनांक से अधिकृमित करते हुए निम्नानुसार एडवाईजरी जारी की जाती है :–

सी.जी.एस.टी. / एस.जी.एस.टी. नियमावली के नियम 48(4) सपठित अधिसूचना संख्या 1 / 2022 केन्द्रीय कर दिनांक 24.02.2022 एवं मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ ए 3–51–2019–1–पांच(17) भोपाल, दिनांक 23.03.2022 के अनुसार पिछले किसी भी वर्ष (वर्ष 2017–18 तथा उसके पश्चात् किसी भी वर्ष) में कुल वार्षिक टर्नओवर (संकलित आवर्त) रूपए 20 करोड से अधिक होने की स्थिति में दिनांक 01.04.2022 से ई–इनवॉइस जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

जीएसटी अधिनियम की धारा 2(6) में **"सकल आवर्त (Aggregate turnover)"** निम्नानुसार परिभाषित है :–

सकल आवर्त से सभी कराधेय पूर्तियों (ऐसे आवक पूर्तियों के मूल्यों को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट–प्राप्त पूर्तियॉ, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और समान स्थायी खाता संख्यांक (PAN) वाले व्यक्तियों के अंतरराज्यिक पूर्तियों का अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाने वाला सकल मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर सम्मिलित नहीं है।

सी.जी.एस.टी. / एस.जी.एस.टी. नियमों के नियम 48(5) में यह भी प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी की गई प्रत्येक ई–इनवॉइस पर उप नियम (4) लागू होता है, उक्त उप नियम में निर्दिष्ट तरीके के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरह से जारी इनवॉइस को valid इनवॉइस की मान्यता नहीं दी जाएगी।

अतः परामर्श दिया जाता है कि आप अविलंब जी.एस.टी. ई–इनवॉइस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है, अपने ई–इनवॉइसेज को पंजीकृत कराना प्रारंभ कर सकते है एवं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर सकते हैं।

करदाताओं को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अपने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा के लिए सरल ऑनलाइन और ऑफलाइन टूल्स उपलब्ध कराए गए है। इन टूल्स की विशेषताओं और उपयोगिताओं पर एक प्रस्तुति नीचे दिए गए लिंक में दी गई है :–

https://docs.ewaybillgst.gov.in/Documents/e-invoice_System.pdf अधिक जानकारी, उपयोगकर्ता गाइड, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, संदर्भ और तकनीकी संसाधन हेतु https://einvoice1.gst.gov.in/ वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है।

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 16/2022/24(B)/I/219 इन्दौर, दिनांक 05-08-2022

प्रतिलिपि,

1. संभागीय उपायुक्त, समस्त, की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से विभिन्न औद्योगिक /व्यवसायिक संगठन/कर सलाहकार एवं सीए एशोसिएशन से संपर्क कर उपरोक्तानुसार सूचित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. सी.ए.एशोसिएशन, समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. टैक्स प्रक्टिशनर एशोसिएशन, समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश